<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–571 / 2026

(सुपौल थाना कांड सं0–88 / 2026)

	1. शंभू पासवान, पे0 स्व0 नाथो पासवान 2. रौशन पासवान, पे0 प्रभू पासवान दोनो का साकिन बलियासपट्टी वार्ड नं0–09, थाना व जिला– सुपौल .....अभियुक्त / आवेदकगण बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
<u>27 / 05 / 26</u>	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदकगण **(1) शंभू पासवान एवं (2) रौशन पासवान** की ओर से दाखिल किया गया है, जो सुपौल थाना कांड सं0–88 / 2026 अन्तर्गत धारा–126(2), 115(2), 352, 351(2), 109(1), 303(2), 308(2) / 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री अमर कुमार दास को सुना। अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त आवेदक सं0–1 के विरूद्व वर्तमान वाद के अलावे 01 अन्य मुकदमा दर्ज है तथा आवेदक सं0–2 के विरूद्व पूर्व से कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। अभियुक्त आवेदकगण को ग्रामीण, गंदी राजनीति के तहत झूठा फॅसाया गया है। धारा 109(1), 303(2), 308(2) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। उभयपक्षों के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा है। अभियुक्त आवेदकगण के विरूद्व मारपीट करने का कोई स्पष्ट व विशिष्ट आरोप नहीं है। वर्तमान मुकदमा सुपौल थाना कांड सं0–82 / 2026 का पलटा मुकदमा है। अभियुक्त आवेदकगण धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। अभियुक्त आवेदकगण, सूचिका जमीला खातून के फर्द बयान के आधार पर संस्थित सुपौल थाना कांड सं0–88 / 2026, धारा– 126(2), 115(2), 352, 351(2), 109(1), 303(2), 308(2) / 3(5) भारतीय न्याय संहिता के प्राथमिकी अभियुक्तगण है। सूचक ने अपने फर्द बयान में अभिकथन किया है, कि दिनांक 02 / 02 / 2026 समय करीब 11:00 बजे दिन में वे अपने ऑगन में बैठा था, तो उसी समय ऑगन में लगे टट्टी को तोड़ रहा था तथा उसके द्वारा मना करने पर अभियुक्त आवेदकगण सह अभियुक्तों एवं 4–5 अज्ञात लोगों ने गाली गलौज करते हुए लाठी, रड, फरसा से लैश होकर जान मारने की नियत से उसके सर पर फरसा चला दिया, जिससे उसका सर फट गया और वे खून से लतपथ होकर जमीन पर गिर गया तथा उसे बचाने उसका भाई शिवशंकर पासवान आये तो उसके साथ भी मारपीट करते हुये उसका सर फोड़ दिया और वह भी जख्मी होकर जमीन पर गिर	

<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–571 / 2026

(सुपौल थाना कांड सं0–88 / 2026)

<u>लगातार.....</u> 27 / 05 / 26	गया और उसके घर में घुसकर घर में रखे बक्सा से नगद 5000 रूपया, सोने का जेबर करीब 5 भरी कीमत 150000 रूपया तथा जमीन संबंधी कागजात लूटपाट कर लेकर भाग गया तथा रंगदारी का भी मॉग किया। उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा इनके विरूद्व सूचक एवं उसके भाई के साथ मारपीट करने का विशिष्ट आरोप नहीं है। वाद दैनिकी के कंडिका 9, 10, 11 में जख्मी एवं साक्षियों का बयान है, कंडिका 50 एवं 51 में जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन है, जिसमें चिकित्सक के द्वारा जख्मी का जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। उभयपक्षों के मध्य मेल व सुलह हो चुका है एवं सूचक और अभियुक्त आवेदकगण की ओर से संयुक्त हस्तांक्षरित सुलहनामा एवं अनुमति आवेदन की वजाप्ता प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है तथा सूचक न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह की बात स्वीकारता है और इस संबंध में उसके द्वारा अभिलेख पर पृष्ठांकन भी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुलहनामा के आधार पर अभियुक्त आवेदकगण **(1) शंभू पासवान एवं (2) रौशन पासवान** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदकगण की ओर से मो0 15,000 / –रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 482 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें। लेखापित –हस्ता0– (अनंत सिंह) प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल	